रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 1970/पौष 1, 1892

No. 213] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 1970/PAUSA 1, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

ORDER

New Delhi, the 21st December 1970

G.S.R. 2050.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 3 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and of all other powers hereupto enabling, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 42 dated the 13th January, 1968 (relating to the constitution of a Joint Cadre of the Indian Administrative Service for all the Union Territories), the Central Government hereby constitutes for all the Union Territories and the area of the North East Frontier Agency a Joint Cadre of the Indian Administrative Service with effect from the date of publication of this Order in the Gazette of India.

[No. 13/3/67-AIS(I).]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1970

सा० का० नि० 2050.—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954, के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 60) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, तथा इस निमित्त समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, गृह मंत्रालय की सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए भारतीय प्रशासन सेवा के संयुक्त संवर्ग के गठन से संबंधित अधिसूचना सं० सा० का० नि० 42, दिनांक 13 जनवरी, 1938 का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, सभी संघ शासित क्षेत्रों को मिला कर एक संयुक्त कैडर के प्रयोजन के लिए, इस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, भारतीय प्रशासन सेवा के संयुक्त संवर्ग का गठन करती है।

[सं० 13/3/67-अ०भा०से० (1)]

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970